अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों हेतु योग्यता-सह-आय छात्रवृत्ति योजना अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखने वाले निर्धन तथा मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है ताकि वे व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययन कर सकें।

अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों हेतु नि:शुल्क कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना अल्पसंख्यक समुदायों को सरकारी क्षेत्रों के अतिरिक्त व्यवसाय क्षेत्रों, उद्योगों, और अन्य सेवाओं में रोजगार के लिए समर्थ बनाती है।

अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना एम.फिल व पीएच.डी. तथा उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय सहायता के रूप में यूजीसी के अनुरूप कोचिंग प्राप्त करने के लिए एकीकृत पाँच वर्षीय अध्येतावृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान समग्र निधि जो कि विशेषतया शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों तथा सामान्यत: कमजोर वर्गों के हित के लिए शैक्षिक नीतियों एवं योजनाओं का कार्यान्वयन करता है और विशेषतया बालिकाओं को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए, बालिकाओं हेतु आवासीय विद्यालय स्थापित करता है। इसके द्वारा निम्नालिखित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है :

(अ) **अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखने वाली मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना** का लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखने वाली निर्धन तथा मेधावी छात्राओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है।

(ब) **गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से संचालित सहायता अनुदान योजना** यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े उन अल्पसंख्यकों के केन्द्रीकृत क्षेत्रों में शैक्षिक आधारभूत संरचना तथा सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए एम.ए.ई.एफ. द्वारा स्थापित की गई है जहाँ प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय/कनिष्ठ महाविद्यालय/वृत्तिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं।

केन्द्रीय वक्फ़ परिषद् मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए राज्य वक्फ़ बोर्डों के माध्यम से अपने-अपने राज्यों के विद्यालयों, मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और तकनीकी/व्यावसायिक/वृत्तिक डिग्री पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाती है।

नई रोशनी – अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु तथा उन्हें नेतृत्वकारी भूमिकाएँ अदा करने हेतु प्रोत्साहित करती है।

सीखो और कमाओ – मॉड्यूलर रोजगारोन्मुखी कुशलताओं (एम ई एस) के लिए कौशल विकास का यह कार्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.वी.टी.) द्वारा अनुमोदित है। इसमें अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा किसी राज्य विशेष अथवा क्षेत्र में अपनाई जा रही अधिकांशत: पारम्परिक कुशलताओं जैसे कढ़ाई, चिकनकारी, जरदोजी, पैच कार्य, पत्थर एवं आभूषण, बुनाई, लकड़ी का कार्य, चमड़े के पाठ्यक्रम शामिल हैं।

अन्य

स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारात्मक कोचिंग हेतु योजना
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों की अकादमिक क्षमताओं एवं भाषिक निपुणताओं को बेहतर बनाने के लिए तथा ऐसे विषयों में जहां परिमाणात्मक, तकनीकी और प्रयोगशाला कार्य शामिल हैं, में उनकी बोधगम्यता का स्तर बढ़ाने और उनकी असफलता, शाला त्याग दर कम करने के लिए प्रारंभ की गई। **अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए सेवाओं** में भर्ती हेतु कोचिंग योजना के द्वारा विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार करना ताकि उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं और राज्य/प्रान्तीय सेवाओं में रोजगार प्राप्त करने में सहायता हो सके।

एन.सी.ई.आर.टी. की पहल

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा -2005 में भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों जैसे सामाजिक न्याय, समानता एवं धर्मनिरपेक्षता पर आधारित बहुविध समाज में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली को मजबूत करने पर जोर दिया गया है तथा इसी के अनुरूप नई पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं।

एन.सी.ई.आर.टी. में स्थापित **अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ** का उद्देश्य है अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित बच्चों की शिक्षा के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों एवं आयोगों के निर्देशों के अनुपालन में सहयोग करना साथ ही अल्पसंख्यक शिक्षा एवं अल्पसंख्यक संस्थानों को परिषद् के चैनलों जैसे ERIC द्वारा अनुसंधान अध्ययन हेतु क्षेत्र सुझाना तथा विकास एवं प्रशिक्षण में प्रोत्साहित व सहयोग करना और विचार-विमर्श के लिए प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान तथा इसके विभिन्न संघटक/एकक मदरसों सहित अल्पसंख्यक संकेन्द्रित क्षेत्रों के विद्यालयों में कार्यरत मास्टर प्रशिक्षकों एवं शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण/अभिविन्यायस कार्यक्रम आयोजित करते हैं। विवरण के लिए कृपया एन.सी.ई.आर.टी. की वेबसाइट देखें।

अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, एन.सी.ई.आर.टी. के कार्यक्रमों के संबंध में विवरण हेतु कृपया वेबसाइट www.ncert.nic.in देखें।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा नीतियाँ, कार्यक्रम एवं योजनाएँ

भारत एक बहुसांस्कृतिक समाज है

लोगों के धार्मिक विश्वास, जीवन शैली व सामाजिक संबंधों की समझ एक-दूसरे से बहुत अलग है। सभी समुदायों को सह-अस्तित्व व समान रूप से समृद्ध होने का अधिकार है और शिक्षा व्यवस्था को भी हमारे समाज में निहित इस सांस्कृतिक विविधता के अनुरूप होना चाहिए।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2005

अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ
विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING
श्री अरविन्द मार्ग, नयी दिल्ली-110016

Barushar 2014 (Minority Education).indd 1 6/17/2014 3:05:04 PM

अल्पसंख्यक समुदाय

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 ने मुसलमानों, सिक्खों, ईसाइयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया है। 27 जनवरी 2014 को जारी अधिसूचना के अनुसार जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया।

2001 की जनगणना के अनुसार, देश में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत देश की कुल जनसंख्या का लगभग 18.8% (18.95 करोड़) है, जिसमें से 13.4% (13.83 करोड़) मुसलमान, 2.3% (2.40 करोड़) ईसाई, 1.9% (1.92 करोड़) सिक्ख, 0.8% (79.5 लाख) बौद्ध , 0.4% (42.2 लाख) जैन तथा 0.0069% (69 हजार) पारसी हैं।

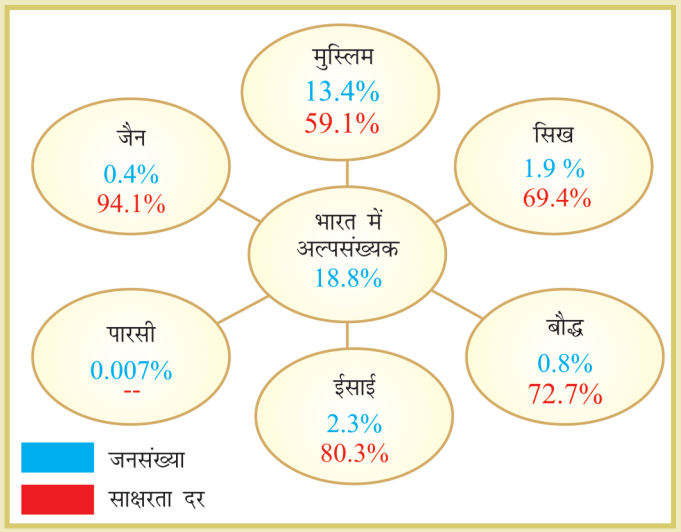

स्रोत : भारत की जनगणना, 2001

भारत का संविधान और अल्पसंख्यकों का संरक्षण

देश में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए संविधान में बहुत से उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ अधिकार अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों के लिए समान हैं। ये अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में प्रतिष्ठापित हैं :

- अनुच्छेद 14 – विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण की प्रतिस्थापना करता है।
- अनुच्छेद 15 – धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रनिषेध करता है।
- अनुच्छेद 25 – अंत:करण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 26 – लोक व्यवस्था , सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, धार्मिक संस्थानों, धार्मिक कार्यों के प्रबंध के अधिकार को सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 29 – अल्पसंख्यकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है ।
- अनुच्छेद 30 – अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है ।
- अनुच्छेद 347 – कार्यालयी प्रयोजन हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं के प्रयोग की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 350(अ) – शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की सुविधाएं मातृभाषा में उपलब्ध करवाने के लिए राज्य को निदेश देता है।
- अनुच्छेद 350(ब) – भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों और उसके कर्त्तव्यों के लिए विशेष अधिकारी उपलब्ध करवाता है।
- भाग IV – संविधान के भाग-IV में राज्य के नीति निदेशक तत्व अंतर्विष्ट हैं, में अल्पसंख्यकों के लिए महत्वपूर्ण पक्षों वाले प्रावधान शामिल हैं।

भाग IV मौलिक कर्त्तव्यों से संबंधित संविधान का यह भाग सभी नागरिकों पर पूर्णतया लागू होता है।

शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन करते समय अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों जिनकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में दी गयी है, का संरक्षण किया गया है। इस अधिनियम की अनुप्रयोज्यता संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन होगी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।

अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं विकासात्मक कार्यकलापों के अनुवीक्षण हेतु **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992** के परिणामस्वरूप 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 (2006 में संशोधित) – इस अधिनियम के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थानों के संस्थापन तथा प्रबन्धन हेतु अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन के संबंध में शिकायतों की जाँच करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग की स्थापना की गई।

प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम

- एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता
- विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना
- उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन
- मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण
- अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति
- मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक आधारभूत संरचना को उन्नत करना
- गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना
- तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन
- आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता
- राज्य व केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती
- ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी
- अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार
- सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम
- सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन
- सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाएँ
(www.mhrd.gov.in/schemes_home)

मदरसों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु योजना (SPQEM) विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों के लिए औपचारिक विद्यालयी शिक्षा पाठ्यचर्या के शिक्षण हेतु मदरसों में क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत संरचना विकास योजना (IDMI) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान को सुसाध्य बनाने के लिए निजी सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में आधारभूत संरचना का संवर्धन करता है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (KGBV) देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों (75% सीट) से संबंध रखने वाली बालिकाओं एवं गरीबी रेखा (25%) से नीचे के परिवारों की बालिकाओं हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों को स्थापित करने के लिए प्रारंभ की गई।

अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय की योजनाएँ
(www.minorityaffairs.gov.in/scholarship)

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के अभिभावकों को अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई।

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं से पीएच.डी. तक के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं ताकि उन्हें उच्च शिक्षा तथा रोजगार हेतु बेहतर अवसर उपलब्ध करवाए जा सकें।